

मांग संख्या 79
मुख्य शीर्ष 2210

मद क्रमांक 1 से 13

आयुर्वेदिक औषधियों के ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी एवं अनुसंधान केन्द्र की स्थापना हेतु विभिन्न मदों में कुल रूपये 6.51 लाख का व्यय संभावित है। जो विभागीय बचत से किया जावेगा।

अतः इस प्रयोजन हेतु राशि रूपये 1300 के प्रतीक प्रावधान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 14 से 15

भारत सरकार द्वारा आयुष विभाग के एसेन्शियल ड्रग प्रदाय योजना हेतु रूपये 76.30 लाख उपलब्ध कराया गया है।

अतः इस प्रयोजन हेतु राशि रूपये 76,30,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 16

भारत सरकार द्वारा आयुष विभाग के आई.एस.एम.एण्ड.एच. के अंतर्गत स्पेशल थेरोपी सेंटर की स्थापना हेतु रूपये 22.00 लाख स्वीकृत किया गया है।

अतः इस प्रयोजन हेतु राशि रूपये 22,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 17 से 19

भारत सरकार के मॉडल कॉलेज योजनांतर्गत चार नवीन विषयों में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रारंभ करने में 15 पदों के निर्माण हेतु वेतन भत्ते के अंतर्गत कुल राशि रूपये 20.00 लाख का व्यय संभावित है। पदों का विवरण निम्नानुसार है :-

| <u>क्रमांक</u> | <u>पदनाम</u> | <u>पदनाम</u> | <u>वेतनमान</u> |
|--------------------------------|----------------------|--------------|----------------|
| <u>रचना शरीर विभाग</u> | | | |
| 1 | प्रोफेसर | 01 | 10650-15850 |
| 2. | रीडर | 01 | 10000-15200 |
| 3. | प्रयोगशाला सहायक | 01 | 3050-4590 |
| 4. | स्वास्थ्य कार्यकर्ता | 01 | 2550-3200 |
| <u>रस शास्त्र विभाग</u> | | | |
| 1. | प्रोफेसर | 01 | 10650-18850 |
| 2. | रीडर | 01 | 10000-15200 |
| 3. | व्याख्याता | 01 | 8000-13500 |
| 4. | लैब टेक्नीशियन | 01 | 4000-6000 |
| 5. | लैब असिस्टेंट | 01 | 3050-4590 |
| 5. | स्वास्थ्य कार्यकर्ता | 01 | 2550-3200 |
| <u>शल्यतंत्र विभाग</u> | | | |
| 1. | प्रोफेसर | 01 | 10650-18850 |
| 2. | रीडर | 01 | 10000-15200 |
| 3. | लैब टेक्नीशियन | 01 | 4000-6000 |
| 4. | लैब असिस्टेंट | 01 | 3050-4590 |
| 5. | स्वास्थ्य कार्यकर्ता | 01 | 2550-3200 |

अतः इस प्रयोजन हेतु राशि रूपये 20,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 20

भारत सरकार के केन्द्र प्रवर्तित योजनांतर्गत निजी क्षेत्र के महाविद्यालय महाराणाप्रताप होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज रायपुर को सी.एम.ई. प्रोग्राम हेतु राशि रूपये 1.00 लाख स्वीकृत किया गया है।

अतः इस प्रयोजन हेतु राशि रूपये 1,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।